संख्या–2772 / 9–आ–1–21 आई.डी.एस.एम.टी. / 2002

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति,
(संगठित विकास योजना के नगरों से सम्बंधित जनपद),
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,
(संगठित विकास योजना के नगरों से सम्बंधित नगर),
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–04 सितम्बर, 2002

विषय : संगठित विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा संगठित विकास योजनांतर्गत चयनित नगरों की स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण / अनुदान स्वीकृत किया गया है। उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश भी जारी किये गये हैं। शासन स्तर पर दिनांक 13 जून 02 को संगठित विकास योजना के अंतर्गत चयनित नगरों की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की एक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई थी, जिसमें संबंधित नगरों की नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत / संबंधित विकास प्राधिकरणों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे। प्रगति समीक्षा के समय उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया कि कुछ नगरों की संगठित विकास योजना के कार्यों को जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा कराये जाने का निण्रय जिला स्तर पर लिया गया है तथा कुछ नगरों में योजना के कार्य हेतु धनराशि को जल निगम अथवा अन्य संस्था को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संगठित विकास योजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित संशोधित गाइड लाइन्स–1995 के बिन्दु 2 के प्रस्तर (ई) में निम्नवत व्यवस्था दी गयी है :–

"Promoting resource-generating schemes for the urban local bodies to improve their overall financial position and ability to undertake long-term infrastructure development programmes on their own as well as to repay the borrowed capital and user in necessary municiapl reforms."

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के स्वामित्व में उपलब्ध निर्विवादित भूमि पर ही संगठित विकास योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी जानी चाहिए जिनका क्रियान्वयन भी स्थानीय निकाय स्तर से किया जाना चाहिए। प्रायः देखने में आया है कि कुछ योजनायें जो विकास प्राधिकरण द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय की भूमि पर तैयार की गयी थीं, उनका क्रियान्वयन स्वयं विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया। ऐसे विकास प्राधिकरणों द्वारा भारत सरकार की निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार लाभकारी, लागत वापसी एवं अलाभकारी योजनाओं के 40:30:30 के अनुपात में धनराशि व्यय न करके मनमाने ढंग से अलाभकारी योजनाओं पर व्यय कर दी गयी है जिससे योजना का स्वरूप ही बदल गया फलस्वरूप उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पायी है। जो योजनायें क्रियानिवत की गयी हैं, वे अधूरी पड़ी हुई हैं तथा उनका कब्जा भी संबंधित स्थानीय निकायों को नहीं मिल सका है। यदि विकास प्राधिकरण अथवा अन्य एजेंसी द्वारा इन योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तो इस प्रकार की समस्यायें वर्तमान में चल रही परियोजनाओं में भी आयेंगी तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर अगली किश्तें प्राप्त करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायेगी।

2. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि संगठित विकास योजना की समस्त परियोजनायें जो नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि पर तैयार की गयी हैं, उनका क्रियान्वयन मात्र संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा ही किया जायेगा। इस प्रकार की परियोजनाओं का क्रियान्वयन विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/जिला नगरीय विकास अभिकरण/जल निगम अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा भविष्य में नहीं किया जायेगा। यदि योजना प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि पर प्रस्तावित है व भारत सरकार द्वारा तदनुसार स्वीकृत है, तो उस पर प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वयन में आपत्ति नहीं है।

3. विषयगत प्रकरण में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी नगर में संगठित विकास योजनांतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय निकायों के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था से कराये जाने के संबंध में कोई निर्णय लिये गये हैं अथवा धनराशि किसी अन्य संस्था/अभिकरण को हस्तान्तरित की गयी है तो जिला स्तर पर लिये गये उक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से निरस्त माने जाये। मामले में हस्तान्तरित धनराशि नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा संचालित योजना के रिवाल्विंग फण्ड में तत्काल जमा करा दी जायें।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या :– 2772(1)/9–आ–1–02, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।